**राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ**

खण्डपीठ आपराधिक अपील संख्या 619/2016

मुकेश कुमार @ मनोज कुमार पुत्र श्री पर्वत राज, जाति सोनी, निवासी पनघट रोड, बाडमेर। (फिलहाल सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद हैं)

---- अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

----प्रत्यर्थी

---

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से | : | श्री सुरेश कुंभट |
| | | श्री शीतल कुंभट |
| प्रत्यर्थी की ओर से | : | श्री बी.आर. बिश्नोई, पी.पी. |
| | | श्री सिद्धार्थ करवासरा, शिकायतकर्ता के लिए। |

---

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली**

**माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी**

**निर्णय**

**रिपोर्टेबल**

**28/04/2023**

(**माननीय आर.पी. सोनी, न्यायमूर्ति**)

1. अपीलार्थी ने सत्र प्रकरण संख्या 18/2012 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1, बाड़मेर की अदालत द्वारा दिए गए दिनांक 17.06.2016 के निर्णय और आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसके तहत अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 और अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था और शस्त्र अधिनियम और निम्नानुसार सजा सुनाई गई:-

| धारा के तहत सजा | सुनाई गई सजा | लगाया गया जुर्माना | जुर्माना चूक पर सजा |
|---|---|---|---|
| 302 आईपीसी | आजीवन कारावास | 5,000 रुपए | एक महीना का कठोर कारावास |
| 4/25 शस्त्र अधिनियम | एक वर्ष | 500 रुपए | 15 दिन का कठोर कारावास |

दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 01.12.2011 को दोपहर लगभग 2:00 बजे, रतन लाल (पीडब्लू-6), जो मृतक के भाई हैं, द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष एक रिपोर्ट (प्रदर्श-12) दर्ज कराई गई जिसमें अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया कि उसका बड़ा भाई सुरेश कुमार चाय की दुकान चलाता है। दिनांक 01.12.2011 को दोपहर 12:00-1:00 बजे के बीच किसी ने उन्हें सूचना दी कि सुरेश कुमार की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। उसके शरीर पर चाकू के पांच घाव थे।

3. उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एक औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज किया गया, जांच शुरू की गई और जांच पूरी होने के बाद अपीलार्थी के खिलाफ चालान दायर किया गया। मामला सत्र न्यायालय में सौंपे जाने के बाद, अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया और उस पर आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए। अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

4. अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की, उनमें से केसर सिंह (पीडब्लू-3) एकमात्र चश्मदीद गवाह है, दीपक (पीडब्लू-8) मृतक का बेटा है और घटनास्थल का गवाह, सवाई लाल (पीडब्लू-1) मृतक (सलाह) का बहनोई है, जो घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा, रतन लाल (पीडब्लू-6) मृतक का छोटा भाई है और शिकायतकर्ता, हनुमान दास (पीडब्लू-4) और पारस मल (पीडब्लू-10) अपराध के हथियार की बरामदगी के गवाह हैं, डॉ. अरुण कुमार (पीडब्लू-12) ने मृतक के शरीर का शव परीक्षण किया, लून सिंह (पीडब्लू-11) जांच अधिकारी हैं, कांस्टेबल चंदन गिरी (पीडब्लू-15) फोटोग्राफर हैं और बाकी गवाह *मोटबीर* और औपचारिक गवाह हैं। उपरोक्त के अलावा, विचारण के दौरान चाकू, खून से सनी मिट्टी, कंट्रोल मिट्टी, मृतक और आरोपी

के कपड़े जैसी विभिन्न वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में, अपीलार्थी ने अभियोजन साक्ष्य में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने खुद को निर्दोष और झूठा फंसाने की दलील दी। उसने कहा कि उसने सुरेश कुमार की हत्या नहीं की है, मृतक सुरेश कुमार उसका सगा चाचा था। वह आदतन शराब पीने का आदी था। सुरेश कुमार ने राजपूत समुदाय के कई लोगों से कर्ज लिया था और उसी समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। अपीलार्थी ने बचाव गवाह के रूप में जिला आबकारी अधिकारी मोहन राम पूनिया (डीडब्ल्यू-1) से पूछताछ की और आबकारी विभाग से आरटीआई के तहत प्राप्त एक दस्तावेज प्रदर्श D-1 प्रदर्शित किया।

6. ट्रायल कोर्ट ने, केसर सिंह (पीडब्लू-3) के एकमात्र चश्मदीद गवाह और मृतक के बेटे दीपक (पीडब्लू-8) की गवाही पर भरोसा करते हुए, मेडिकल साक्ष्य जो पाया गया है जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुरूप, चाकू और खून से सने कपड़ों की बरामदगी के साथ-साथ अपीलार्थी के मकसद के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इसलिए यह अपील की गई।

7. हमने न्यायालय में दी गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय का अध्ययन किया है। हमने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की पूरी तरह से मूल्यांकन किया है।

8. अपीलार्थी-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुंभट ने जोरदार तर्क दिया है कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को सिद्ध करने में विफल रहा है, इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सुरेश कुमार की हत्या के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना उचित नहीं था। उन्होंने आक्षेपित निर्णय की न्यायोचितता और वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए और न्यायालय से इसे रद्द करने और अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करने का अनुरोध किया।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित निर्णयों पर अपने तर्कों के समर्थन में भरोसा रखा गया: -

1. त्रिवेणी सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार 2020 सीआरआई एल.जे. 162
2. मदन लाल बनाम राजस्थान सरकार 2018 (3) आरसीसी (राजस्थान) 992
3. अमर सिंह बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) 2020 सी.आर.एल.आर. (एससी) 1030
4. कुना उर्फ संजय बेहरा बनाम ओडिशा राज्य 2018 सीआरआई एल.जे. 1143
5. होशियार सिंह बनाम राजस्थान सरकार 2022 (1) सीजे (क्रि.)(राजस्थान) 337
6. चिरंजी लाल बनाम राजस्थान सरकार आरएलआर 1987 (द्वितीय) 543
7. गणेश भवन पटेल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979 एससीसी (क्रि.) 1
8. आरती बनाम राजस्थान सरकार 2021 (4) सीजे (क्रि.) (राजस्थान) 1905
9. भेरू लाल तुलसी राम सालवी बनाम राज्य 2019 सीआरआई एल.जे. 1692
10. दाऊ राम मेघवाल बनाम राजस्थान सरकार 2019 (2) सी.आर.एल.आर. (राजस्थान) 1022
11. रोशन कोली बनाम पीपी 2019 के माध्यम से राजस्थान सरकार (3) सीआर.एल.आर. (राजस्थान) 1153
12. रघुनाथ एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार 2019 (3) सीजे (क्रि.) (राजस्थान) 2334
13. इकबाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार 2019 (2) सीजे (क्रि.) (राजस्थान) 1111
14. श्रवण राम नायक बनाम राजस्थान सरकार 2019 (1) सी.आर.एल.आर. (राजस्थान) 534
15. सागर दीनानाथ जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 सीआरआई एल.जे. 4271
16. मल्लप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 2021 Cr.L.R. (एससी) 777
17. निरंजन पांजा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2010 Cr.L.R. (एससी) 487
18. आनंद रामचन्द्र चौगुले बनाम सिदाराई लक्ष्मण 2019(4) सीजे (क्रि.) 1227
19. नागेन्द्र साह बनाम बिहार राज्य (2022) 1 एससीसी (क्रि.) 127
20. शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 Cr.L.R. (एससी) 296
21. नईम मोहम्मद और अन्य बनाम राजस्थान सरकार 2015 (2) सी.आर.एल.आर. (राजस्थान) 655

10. अपनी दलीलें शुरू करते हुए, उन्होंने बताया कि वर्तमान मामले में, कथित चश्मदीद

गवाह केसर सिंह (पीडब्लू-3) को जानबूझकर खड़ा किया गया था; अभियोजन का मामला उपरोक्त एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही पर आधारित है जिसकी घटना के समय उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है और उसने घटना नहीं देखी थी। यह भी बताया गया है कि केसर सिंह (पीडब्लू-3) का आचरण, या तो घटना के समय या उसके तुरंत बाद, स्वाभाविक नहीं है और आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है जो घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति को बेहद संदिग्ध, अविश्वसनीय और अयोग्य बनाता है। घटनास्थल पर उपलब्ध होने के बावजूद उसका नाम एफ.आई.आर. में नहीं डाला गया। इसलिए, केसर सिंह (पीडब्लू-3) की गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

11. आगे यह तर्क दिया गया है कि अन्य चश्मदीद गवाह संपत (पीडब्लू-5) मुकर गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी जिरह से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सका; अपीलार्थी को दोषसिद्धि और सजा एकल चश्मदीद गवाह केसर सिंह (पीडब्लू-3) की एकमात्र गवाही के आधार पर दी गई, जिसका आचरण अप्राकृतिक और मानव स्वभाव के सामान्य व्यवहार के साथ असंगत था, जिससे घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदेहास्पद हो गई है और उसकी गवाही पर भरोसा करना बेहद असुरक्षित है।

12. आगे यह तर्क दिया गया कि यदि केसर सिंह घटना का चश्मदीद गवाह होता, तो उसका नाम शुरू में एफ.आई.आर. में आता, क्योंकि यह घटना के लगभग 2 घंटे बाद दर्ज की गई थी। कहा जाता है कि केसर सिंह, भाग सिंह की शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करता था, लेकिन अभियोजन पक्ष उसे उस शराब की दुकान पर सेल्समैन और भाग सिंह को दुकान का मालिक सिद्ध करने में विफल रहा है।

13. यह भी तर्क दिया गया कि बचाव पक्ष ने जिला आबकारी अधिकारी डीडब्ल्यू-1 मोहन राम पूनिया को प्रस्तुत किया और उत्पाद शुल्क विभाग से आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी का प्रदर्श डी-1 प्रस्तुत किया, जिससे सिद्ध होता है कि केसर सिंह घटना स्थल के पास स्थित शराब की दुकान सेल्समैन के रूप में काम नहीं कर रहे थे।

14. यह भी तर्क दिया गया है कि आबकारी विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, उस शराब की दुकान का लाइसेंस स्वरूप खान के पक्ष में जारी किया गया था और उस दुकान का सेल्समैन श्री हड़मत सिंह था, इसलिए श्री केसर सिंह (पीडब्लू-3) की शराब की दुकान पर मौजूद होने की संभावना नहीं थी और इसके मद्देनजर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केसर सिंह को चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है और उसे

सावधानीपूर्वक योजना बनाकर चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है और केसर सिंह की गवाही संदेह के घेरे में है और ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर झूठे आरोप लगाने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

15. आगे यह भी तर्क दिया गया कि कथित घटना रतन सिंह मार्केट की घनी आबादी वाले इलाके में हुई थी, फिर भी घटना को कथित रूप से सिद्ध करने के लिए इलाके के किसी अन्य गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि अभियुक्त ने अभियोजन द्वारा बताए गए स्थान पर कथित अपराध किया होता, तो केसर सिंह के अलावा बहुत सारे गवाह उपलब्ध होते, क्योंकि यह अभियोजन का स्वीकृत मामला है कि घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हुए थे।

16. यह भी तर्क दिया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न पुलिस अधिकारी मौके पर उपलब्ध थे और केसर सिंह अपनी शराब की दुकान पर भी उपलब्ध थे, इसके बावजूद केसर सिंह द्वारा अपीलार्थी का नाम कभी भी पुलिस अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया गया। वहां उपस्थित होना उपरोक्त तर्क के आलोक में, यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि स्पष्ट रूप से अवैध है और रद्द किये जाने योग्य है।

17. खंडन में, विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि एकमात्र चश्मदीद गवाह केसर सिंह (पीडब्लू-3) का बयान घटना के दिन ही दर्ज किया गया था। केसर सिंह एक स्वाभाविक गवाह है और घटना के समय उसकी उपस्थिति भी स्वाभाविक है। चूँकि घटना शराब की दुकान के बहुत करीब हुई थी जहाँ केसर सिंह सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था, इसलिए केसर सिंह की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता; एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही को विश्वसनीय और भरोसेमंद माना गया है, इसलिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना ट्रायल कोर्ट के लिए उचित है।

18. आगे यह दावा किया गया है कि केसर सिंह का साक्ष्य सुसंगत, संगत, ठोस है और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से प्रशंसित है। केसर सिंह द्वारा प्रदान किए गए सूक्ष्म विवरणों में घटना के ज्वलंत वर्णनों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत केसर सिंह की गवाही पर भरोसा करने में पूरी तरह से उचित थी। विद्वान लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि केसर सिंह के साक्ष्य विरोधाभासों, अलंकरणों और विसंगतियों के कारण खराब हो गए थे और इस प्रकार, अभियोजन सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को सिद्ध करने में सक्षम था,

इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा का कोई औचित्य नहीं है, हस्तक्षेप योग्य है।

19. यह स्थापित कानून है कि साक्ष्यों पर विचार किया जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही, जिसकी गवाही में कोई कमी नहीं है, स्वयं ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय किसी एक चश्मदीद गवाह की गवाही पर कार्रवाई कर सकता है और किसी भी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो और विश्वास को प्रेरित करता हो और साथ ही न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अकेले चश्मदीद गवाह की गवाही इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता का है कि अदालत केवल उस गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करना सुरक्षित मानती है।

20. यदि एक विशेष संख्या में गवाहों पर जोर दिया गया तो न्याय प्रदान करने में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा कम ही नहीं होता कि अपराध केवल एक गवाह की मौजूदगी में किया जाए। यदि विधायिका गवाहों की बहुलता पर जोर देती, तो कई मामलों के आरोपी सजा से बच जाते, जहां एक भी चश्मदीद गवाह उपलब्ध है। किसी एक गवाह की एकमात्र गवाही पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है और यही साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क है।

21. उपरोक्त स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में, अब हम हमारे सामने उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों के मद्देनजर केसर सिंह (पीडब्लू-3) की गवाही की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभियोजन का मामला मुख्य रूप से उनकी गवाही पर निर्भर करता है।

22. हमने केसर सिंह (पीडब्लू-3) की गवाही के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों की जांच की है।

23. यह सच है कि केसर सिंह (पीडब्लू-3) ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी को घटना के बारे में सूचित नहीं किया और न ही मृतक के रिश्तेदारों को आरोपी के बारे में बताया, जब वे मौके पर आए थे। हमारी राय में, केसर सिंह (पीडब्लू-3) के ऐसे आचरण और व्यवहार को उक्त आधार पर अप्राकृतिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिरह में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह मृतक सुरेश कुमार के परिवार के सदस्यों से पहले से परिचित नहीं थे। ऐसी स्थिति में, पूर्व परिचित के अभाव में, केसर

सिंह (पीडब्लू-3) द्वारा मृतक के रिश्तेदारों को आरोपी का नाम बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

24. जब भरे बाजार में किसी व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई हो और मौके पर भारी भीड़ और पुलिसकर्मी मौजूद हो, तो उस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी घबराहट, सनसनी और घबराहट के मारे तुरंत सामने आकर किसी को घटना नहीं बताएगा। ऐसी हत्या से पैदा हुआ डर घटना की विस्तृत जानकारी और आरोपी के नाम का तत्काल खुलासा करने से आमतौर पर मौके पर मौजूद व्यक्ति परहेज करता है।

25. अधिकांश लोगों के लिए कानूनी कार्यवाही में शामिल होने से झिझकना आम बात है और इसलिए, वे तुरंत गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आरोपी का नाम एफ.आई.आर. में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद, उसी दिन जब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया, केसर सिंह (पीडब्लू-3) ने बिना किसी व्यक्तिगत हित या मकसद के, पुलिस और मृतक के परिवार के सदस्यों दोनों की सहायता की। हालाँकि, केसर सिंह (पीडब्लू-3) मृतक का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक अच्छे नागरिक के रूप में, उसने बाद में पुलिस और शिकायतकर्ता परिवार की मदद की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।

26. यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मौके पर मौजूद था, पुलिस या एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकता था। केसर सिंह (पीडब्लू-3) के साक्ष्य पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की थी। घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी या मृतक के परिजनों को अपना या आरोपी का नाम नहीं बताया।

27. मामले की एक परेशान करने वाली बात का भी यहां उल्लेख किया जा सकता है। केसर सिंह (पीडब्लू-3) से 27.09.2012 को अदालत में पूछताछ की गई, लेकिन उनकी जिरह लगभग सवा दो साल के अंतराल के बाद 04.12.2014 को शुरू हुई, जिससे पता चलता है कि उक्त लंबे समय के दौरान बचाव पक्ष द्वारा किए गए संभावित प्रयासों के बावजूद इस गवाह पर जीत हासिल करने के लिए, वह जिरह में अविचलित रहा और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया।

28. इस तथ्य की विश्वसनीयता के संबंध में कि केसर सिंह (पीडब्लू-3) उस शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि

उत्पाद शुल्क विभाग के रिकॉर्ड में मालिक या सेल्समैन के रूप में किसका उल्लेख किया गया है, लेकिन अहम बात ये है कि असल में उस शराब की दुकान में सेल्समैन के तौर पर कौन काम कर रहा था. केसर सिंह (पीडब्लू-3) का यह निश्चित बयान है कि घटना के समय वह शराब की दुकान में सेल्समैन के रूप में मौजूद था। अगर केसर सिंह अनाधिकृत सेल्समैन के तौर पर काम कर रहा था तो कानून के मुताबिक उसे इसके लिए जिम्मेदार जरूर ठहराया जा सकता है लेकिन इस वजह से दुकान पर उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता. शराब की दुकान में सेल्समैन के रूप में किसी भी व्यक्ति की वास्तविक उपस्थिति का एकमात्र आधार आबकारी विभाग का रिकार्ड नहीं हो सकता।

29. अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केसर सिंह के उस दुकान पर सेल्समैन होने के संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गई थी, इसलिए अब बचाव पक्ष को शराब की दुकान में केसर सिंह की उपस्थिति के तथ्य पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ***लक्ष्मीबाई (मृत) थ्रू एलआर'एस और अन्य बनाम भगवंतबुवा (मृत) थ्रू एलआर'एस एवं अन्य:*** एआईआर 2013 एससी 1204, में एक विशेष तथ्य/परिस्थिति पर गवाह की गैर-जिरह के तथ्य की जांच की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया।:-

*"31. इसके अलावा, तय कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है, कि यदि कोई पक्ष किसी गवाह के बयान की सत्यता के संबंध में कोई संदेह उठाना चाहता है, तो उक्त गवाह को अपना बयान लेकर उसे समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए और इसके उस कथन पर ध्यान दें, जिसके असत्य होने पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई है। इसके बिना उसकी विश्वसनीयता पर महाभियोग लगाना संभव नहीं है। इस तरह के कानून को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 138 में निहित वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर विस्तारित किया गया है, जो विपरीत पक्ष को किसी गवाह से उसकी प्रारंभिक जांच के दौरान साक्ष्य में दी गई जानकारी के संबंध में जिरह करने में सक्षम बनाता है, और इस प्रावधान का दायरा साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 द्वारा विस्तारित किया गया है, जो किसी गवाह से उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पूछताछ करने की अनुमति देता है। इसके बाद, उसके साक्ष्य के निर्विवाद हिस्से पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि गवाह के लिए उन परिस्थितियों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के अभाव में, इसके संबंध में किसी भी संदेह को समझाना या विस्तार से बताना असंभव है। संकेत मिलता है कि उसके द्वारा प्रदान की गई घटनाओं का विवरण विश्वास करने योग्य नहीं है, और स्वयं गवाह, श्रेय के योग्य नहीं है। इस प्रकार, यदि कोई पक्ष किसी गवाह पर महाभियोग चलाने का इरादा रखता है, तो उसे गवाह बॉक्स में गवाह को पूर्ण और उचित स्पष्टीकरण देने के लिए*

*पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। गवाहों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता और न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए भी यह आवश्यक है।"*

31. इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बचाव पक्ष किसी विशेष तथ्य या मुद्दे पर भरोसा नहीं कर सकता, जिस पर बचाव पक्ष ने उससे जिरह नहीं की है। इस व्याख्या के आलोक में, केसर सिंह (पीडब्लू-3) की बिक्री कौशल के तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है।

32. हमारी राय में, घटना के समय केसर सिंह (पीडब्लू-3) की उपस्थिति बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है। उनकी गवाही पूरी तरह विश्वासयोग्य, भरोसेमंद और विश्वसनीय है। घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्यों से हुई है। इसलिए, हमारी राय में, ट्रायल कोर्ट ने इस अकेले गवाह की गवाही पर सही ढंग से भरोसा किया है और केवल इसलिए कि उसका नाम एफ.आई.आर. में या दीपक (पीडब्लू-8), रतन लाल (पीडब्लू-6) और सवाई लाल (पीडब्लू-1) के साक्ष्य में उल्लेखित नहीं था, केसर सिंह की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाया जाएगा। यह नहीं माना जा सकता कि केसर सिंह अपनी शराब की दुकान पर मौजूद नहीं था या उसने घटना नहीं देखी होगी। इस प्रकार, घटना के समय उसकी उपस्थिति उचित संदेह से परे सिद्ध हो गई है। वह एक स्वाभाविक गवाह है।

33. मृतक की हत्या दिनदहाड़े की गई थी और घटनास्थल के आसपास कई दुकानें थीं, हालांकि जिस बाजार में घटना घटी, वह काफी व्यस्त बाजार था, लेकिन केसर सिंह खुद इस घटना के गवाह हैं। जिरह करने वाला उसकी गवाही में कोई सेंध नहीं लगा सका। यह साक्ष्य की गुणवत्ता है न कि मात्रा जो आवश्यक है। मुद्दे की जड़ यह है कि क्या अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ आरोपों को सामने लाने में सक्षम है, यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य अन्यथा संतोषजनक प्रकृति के हैं और उन्हें भरोसेमंद माना जा सकता है, तो गवाहों की संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है और मामले के लिए एक आवश्यकता बताई जाएगी। इसलिए, हमें केसर सिंह (पीडब्लू-3) पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता और मौके पर उनकी उपस्थिति सबसे स्वाभाविक पाई जाती है। केसर सिंह की गवाही की बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हमने इसे ठोस और विश्वसनीय पाया है। चिकित्सीय साक्ष्य भी उसके बयान का समर्थन करते हैं, इसलिए, केसर सिंह (पीडब्लू-3) की गवाही को खारिज करने का कोई कारण नहीं था,

जिसका अर्थ यह है कि उसने मृतक सुरेश कुमार को मुकेश कुमार द्वारा चाकू मारते देखा था।

34. इस प्रकार, उपरोक्त तर्क के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों में दिए गए निर्णयों से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि उन मामलों में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी अभियुक्त के साथ शत्रुतापूर्ण शर्तों पर था; वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, एकमात्र चश्मदीद गवाह केसर सिंह ने उसी दिन घटना के संबंध में पुलिस को अपना बयान दिया था; एकमात्र चश्मदीद गवाह का आचरण बहुत स्वाभाविक पाया गया है, सवाई लाल द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का वर्तमान मामले में कोई महत्व नहीं है क्योंकि वह मामले का चश्मदीद गवाह नहीं था; केसर सिंह का आचरण मानव स्वभाव और व्यवहार के साथ असंगत नहीं पाया गया है; यह ऐसा मामला नहीं है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है; कि बचाव पक्ष के गवाह का साक्ष्य अपीलार्थी के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं पाया गया है।

35. अब हम अपीलार्थी की ओर से दिए गए अगले तर्क पर विचार करेंगे कि घटना स्थल पर दीपक (पीडब्लू-8) का जाना पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। दीपक (पीडब्लू-8), मृतक का बेटा होने के नाते, सवाई लाल (पीडब्लू-1) और रतन लाल (पीडब्लू-6) के साथ मृतक के रिश्तेदार हैं और वे इच्छुक होने के साथ-साथ पक्षपातपूर्ण गवाह भी हैं और इसलिए, उनकी गवाही स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और इसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन अपीलार्थी के खिलाफ अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि तीन रिश्तेदार गवाहों की गवाही के आधार पर, अपीलार्थी को सुरेश कुमार की हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

36. आगे यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता रतन लाल (पीडब्लू-6), जो उसके चाचा हैं, ने घटना स्थल पर पहुंचने वाले दीपक का नाम नहीं लिया है; घटना के अगले दिन पुलिस ने दीपक से पूछताछ की थी; उसने अपने चाचा रतन लाल को यह नहीं बताया कि उसने आरोपी को घटनास्थल पर देखा था या नहीं, न ही पुलिस को और न ही अस्पताल के कर्मचारियों को; घटना स्थल पर दीपक (पीडब्लू-8) का जाना उसे घटनास्थल के गवाह के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी

थी; अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध करने के लिए अस्पताल का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे बेहोशी की हालत में कहीं भी भर्ती कराया गया था; कि रतन लाल (पीडब्लू-6) ने अपने द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दीपक का नाम नहीं लिया है, इस तथ्य के बावजूद कि एफ.आई.आर. घटना के 2 घंटे बाद दर्ज किया गया; मृतक का बेटा होने के नाते वह रिश्तेदार और इच्छुक गवाह है, इसलिए उसकी गवाही खारिज कर दी जाए।

37. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दीपक का बयान विश्वसनीय है और इस आधार पर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह मृतक का पुत्र है।

38. उपरोक्त तर्कों के मद्देनजर अब हम अभियोजन के विवरण को आगे बढ़ाने के लिए दीपक (पीडब्लू-8) की रुचि और सापेक्षता के तथ्य पर विचार करेंगे।

39. गवाह को आम तौर पर तब तक निष्पक्ष माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोत से न आया हो जिसके दागी होने की संभावना हो और आमतौर पर इसका मतलब यह है कि जब तक गवाह के पास झूठा फंसाने के लिए दुश्मनी आदि जैसा कोई कारण न हो। इस तरह के साक्ष्य को केवल इस आधार पर यांत्रिक रूप से अस्वीकार करना कि वह एक पक्षपातपूर्ण गवाह है, हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगा क्योंकि संबंध उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।

40. यह सच है कि जब भावनाएँ चरम पर होती हैं और शत्रुता आदि का व्यक्तिगत कारण होता है, तो किसी निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति होती है जिसके प्रति गवाह के मन में द्वेष हो, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए नींव रखी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या उसका साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है। रिश्तेदार गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है।

41. हालांकि दीपक (पीडब्लू-8) ने घटना नहीं देखी थी लेकिन घटना के तुरंत बाद वह मौके पर पहुंच गया। अपने बयान में उन्होंने इस प्रकार कहा:-

*"उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोपहर के लगभग 12:00-12:30 बजे, मैं और मेरे पिता सब्जियाँ खरीदने गए थे; मेरे पिता ने कहा कि तुम यहाँ सब्ज़ियाँ खरीदो और मैं शराब लाने के लिए शराब की दुकान पर जाता हूँ; मैंने वहां कुछ देर तक अपने पिता का इंतजार किया लेकिन जब वह नहीं लौटे तो मैं अपने पिता के पीछे-पीछे रतन सिंह की पोल (द्वार) की ओर चला गया; जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसने लगा तो देखा कि वहां मुकेश कुमार हाथ में चाकू लिए हुए था, जिसके कपड़े और हाथ खून से सने हुए थे; जब मैं*

*गेट के अंदर गया तो देखा कि मेरे पिता खून से लथपथ मृत पड़े हैं; उन्हें मरा हुआ देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया; 2-3 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को डॉ. डी.के. रामावत का अस्पताल में भर्ती पाया और मेरे मामा (मामाजी) सवाई लाल (पीडब्लू-1) मेरे साथ थे; मैंने मामाजी को सारी घटना बतायी; वहां से हम मुर्दाघर गये और पिता का शव लेकर घर लौट आये; मुकेश कुमार ने हमारा घर हड़पने की नियत से मेरे पिता की चाकू से हत्या कर दी है।"*

42. बचाव पक्ष द्वारा उससे विस्तार से जिरह की गई लेकिन उसकी जिरह से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला। बल्कि उनके द्वारा यह गवाही दी गई है कि:-

*"सब्जी मंडी और रतन सिंह गेट के बीच 500 मीटर की दूरी है; हम सब्जी खरीदने पैदल निकले थे; जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लगी थी; मुझे नहीं पता कि पुलिस को किसने सूचित किया; जब मैं रतन सिंह के गेट के अंदर गया तो वहां एक ठेला वाला भी मौजूद था।*

43. हमने उनके बयान की सावधानीपूर्वक और सावधानी से जांच की है।

44. बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उससे विस्तार से जिरह की गई लेकिन उसकी जिरह से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला।

45. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य के दृष्टिगत यह स्थापित होता है कि घटना के समय दीपक केवल 18 वर्ष का लड़का था। दीपक के लिए अपने पिता के साथ बाजार में सामान खरीदने जाना अस्वाभाविक नहीं था। जब उनके पिता शराब की दुकान से नहीं लौटे तो उनका पता लगाने के लिए रतन सिंह गेट की ओर जाना भी अस्वाभाविक नहीं था। आरोपी को खून से सने चाकू और कपड़ों के साथ देखना और उसके बाद अपने पिता को खून से लथपथ हालत में मृत देखना, इतनी उम्र के किसी लड़के का बेहोश हो जाना अप्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके मामाजी सवाई लाल (पीडब्लू-1) ने भी बयान दिया है कि घटना की जानकारी मिलने पर जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका भाणेज (मामा) दीपक वहां बेहोश पड़ा हुआ था।

46. दीपक और सवाई लाल के बयान के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि घटना की पूरी शृंखला में कहीं भी बनावटी या झूठ नहीं लगता इसलिए दीपक और सवाई लाल की घटनास्थल पर उपस्थिति भी स्वाभाविक सिद्ध होती है।

47. इन गवाहों के बयानों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, हमने पाया कि दीपक और सवाई लाल अत्यधिक विश्वसनीय गवाह हैं और उनकी गवाही में कोई दोष नहीं है। बल्कि उनकी गवाही केसर सिंह (पीडब्लू-3) और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व वाले चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है। केवल इसलिए कि दीपक मृतक का बेटा है, यह अनुमान नहीं

लगाया जा सकता कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और उसने घटना नहीं देखी थी।

48. इसलिए, हमें दीपक (पीडब्लू-8) और सवाई लाल (पीडब्लू-1) पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। यह मान लेना अनुचित नहीं हो सकता कि दीपक द्वारा दिए गए साक्ष्य केवल इस आधार पर खारिज किए जा सकते हैं कि वह मृतक का पुत्र है। मौके पर उनकी उपस्थिति काफी स्वाभाविक पाई गई है और उनके साक्ष्य विश्वसनीय और ठोस पाए गए हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

49. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दीपक (पीडब्लू-8) की गवाही पर अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसमें कोई बल नहीं है। इस प्रकार, उक्त तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय से कोई लाभ नहीं निकाला जा सकता है।

50. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष मकसद सिद्ध करने में भी विफल रहा है। अपीलार्थी का कथित दिनांक 06.04.2006 (प्रदर्श-21) की वसीयत और उसमें उल्लिखित संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है। वर्तमान एफ.आई.आर. के दायर होने से पहले कोई विवाद या कोई मुकदमा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। इसलिए, अभियुक्तों की दुश्मनी और मकसद के संबंध में जो निष्कर्ष निकला है वह किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि कथित मकसद इतना मजबूत नहीं है जिससे हत्या का अपराध किया जा सके। उन्होंने बताया कि घटना से पहले, पार्टियों के बीच उनकी संपत्ति के संबंध में एक समझौता भी हुआ है, इसलिए घटना के दिन अपराध का कथित मकसद नहीं था। इस प्रकार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि रद्द किये जाने योग्य है।

51. उपरोक्त तर्क का विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त का अपने चाचा सुरेश कुमार की हत्या करने के पीछे एक मजबूत मकसद था, क्योंकि अभियुक्त को उक्त वसीयत के लागू होने से अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित किया गया था। इनके बीच पहले भी 2-3 बार झगड़ा हो चुका था और मकान के विवाद को लेकर ही आरोपी ने सुरेश कुमार की हत्या कर दी।

52. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि वसीयत दिनांक 06.04.2006 (प्रदर्श-21) को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका निष्पादन

श्रीमती वाली देवी, मृतक की मां द्वारा किया गया। उन्होंने उक्त वसीयत के माध्यम से अपने बेटे सुरेश कुमार (मृतक) को एक अचल संपत्ति दी है। वसीयत में यह भी लिखा है कि सुरेश कुमार ही उसके साथ रहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं।

53. संपत्ति के विवाद के संबंध में उपरोक्त साक्ष्यों के मद्देनजर अभियोजन ने मकसद भी सिद्ध कर दिया है। यह स्थापित किया गया है कि पैतृक संपत्ति के संबंध में विवाद पक्षों के बीच बना हुआ था, फिर भी मामले में पहले ही समझौता हो गया था जैसा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने कहा था लेकिन आरोपी संपत्ति छोड़ना नहीं चाहता था। उपरोक्त विद्वेष मन में रखते हुए अपीलार्थी ने अपने चाचा सुरेश कुमार की हत्या की है।

54. रिकॉर्ड के गहन विश्लेषण पर, अभियुक्त के मजबूत इरादे के बारे में स्पष्ट साक्ष्य हैं। दीपक (पीडब्लू-8) की गवाही के साथ-साथ रतन लाल (पीडब्लू-6) और सवाई लाल (पीडब्लू-1) की गवाही, जो क्रमशः मृतक के बेटे, भाई और बहनोई हैं, के बयान के साथ जांच अधिकारी लून सिंह के बयान  के अनुसार, निचली अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसे अपराध का मकसद मानना उचित ठहराया था।

55. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि अपीलार्थी को प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया है। पोस्टमॉर्टम शाम 5:00 बजे किया गया और पीएमआर की सामग्री के अनुसार, पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड को दी गई जानकारी इस आशय की थी कि मृतक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। तर्क दिया गया कि घटना वाले दिन शाम 5:00 बजे तक यानी घटना के लगभग 5 घंटे बाद तक अभियोजन पक्ष को यह निश्चित नहीं था कि असली अपराधी कौन है। अगर अपीलार्थी का नाम सामने आता तो मृतक के भाई रतन लाल या मृतक के बेटे दीपक ने पुलिस या डॉक्टर को अपीलार्थी का नाम बताया होता।

56. इस न्यायालय की राय है कि उपरोक्त तर्क में भी कोई दम नहीं है। इसका कारण पहले बताया जा चुका है। इसके अलावा पीएमआर के प्रोफार्मा में मृतक या अपराधी की मौत के संबंध में घटना का विस्तृत विवरण मेडिकल बोर्ड को देना पुलिस के लिए न तो आवश्यक था और न ही अपेक्षित था। पीएमआर की सामग्री केवल मृत्यु के कारण का पता लगाने के उद्देश्य से प्रासंगिक है, न कि अपराध, अपराधी या अपराध के तरीके के उद्देश्य से, पुलिस द्वारा पीएमआर में डॉक्टर को दी गई जानकारी का वर्णन महज

एक औपचारिकता है और इसे ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

57. अब, हम चिकित्सीय साक्ष्य का विश्लेषण करेंगे। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. अरुण कुमार (पीडब्लू-12), जिन्होंने मृतक के शरीर का शव परीक्षण किया था, का साक्ष्य अस्वीकार्य है; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-25) में मृत्यु के समय या चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार का उल्लेख नहीं है और इस प्रकार, यह अस्पष्ट है; अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर को चाकू नहीं दिखाया है कि मृतक को लगी चोटें चाकू से ही लग सकती हैं; डॉक्टर ने यह भी नहीं बताया है कि चोटें मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में पर्याप्त थीं; बोर्ड के सदस्य ने यह भी नहीं बताया कि मृतक की मृत्यु सभी चोटों के संचयी प्रभाव के कारण हुई।

58. विद्वान लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्क का विरोध किया है और तर्क दिया है कि चिकित्सा साक्ष्य दृष्टि संबंधी साक्ष्य का समर्थन करता है, इसलिए, यह विश्वसनीय और भरोसेमंद भी है।

59. इस पहलू में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से पीएमआर से यह स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर कुल 4 चाकू के घाव पाए गए, जिनमें से पहला छाती के बाईं ओर था, दूसरा पेट पर था। तीसरा बाईं बांह पर और चौथा बाएं निचले फेफड़े पर। बायां निचला फेफड़ा फटा हुआ पाया गया और उसके अंदर खून जमा हो गया। पेट की झिल्ली फटी हुई थी और उसमें खून भी जमा था। पीएमआर (प्रदर्श-25) सिद्ध करता है कि सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं। मेडिकल बोर्ड की राय में मौत का कारण फेफड़े का फटना और अत्यधिक रक्तस्राव है। इसलिए, हमें डॉ. अरुण कुमार (पीडब्लू-12) की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है और उनकी गवाही से यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो गया है कि सुरेश कुमार की मृत्यु का कारण उनके फेफड़ों की चोटें थीं जो कि चाकू से किए गए घाव थे, इसलिए, मृतक की हत्या सिद्ध होती है और यह भी सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने मृतक सुरेश कुमार के शरीर पर चाकू से वार किए थे।

60. जहां तक डॉक्टर को हथियार दिखाने के विवाद का प्रश्न है, पीएमआर (प्रदर्श-25) का अवलोकन और उसमें उल्लिखित चोटों की प्रकृति से यह सिद्ध होता है कि केवल एक ही प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। केसर सिंह की गवाही के अनुसार,

मृतक को लगी चोटें भी एक प्रकार के हथियार यानी चाकू से लगी थीं और सभी घावों की प्रकृति चाकू के घाव जैसी थी।

61. किसी भी गवाह के जिरह में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि चोट की प्रकृति संदिग्ध है या दो प्रकार के हथियारों से चोट लगना संभव है। ऐसे में अभियोजन पक्ष को डॉक्टर को गवाही के दौरान हथियार दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था, इसे दूर करना जरूरी था। बचाव पक्ष ने डॉक्टर से घटना में प्रयुक्त हथियार की प्रकृति के संबंध में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा है, इसलिए उक्त तर्क के आधार पर आरोपी को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

62. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद और चश्मदीद गवाह केसर सिंह (पीडब्लू-3) दीपक (पीडब्लू-8) सवाई लाल (पीडब्लू-1) और रतन के साथ डॉक्टर की गवाही का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के बाद लाल (पीडब्लू-6), हमारी राय है कि घटनास्थल पर केसर सिंह और दीपक की उपस्थिति बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है और उनकी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद है।

63. अब, हम अभियुक्तों के हथियार और खून से सने कपड़ों की बरामदगी के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की अगली दलीलों पर विचार करेंगे।

64. चाकू की बरामदगी ज्ञापन पर विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस आधार पर हमला किया है कि यह अविश्वसनीय है क्योंकि यह नकली और मनगढ़ंत है क्योंकि यह एक खुली जगह में है जो सभी के लिए सुलभ है, इसलिए इसे समान नहीं माना जा सकता है कि बरामद चाकू अपीलार्थी द्वारा वहां रखा गया था; साक्ष्य के इस टुकड़े का उपयोग अपीलार्थी के विरुद्ध भी नहीं किया जा सकता है; हथियार की बरामदगी त्यागने योग्य है; कि जांच अधिकारी का आचरण किसी न किसी तरह से इस मामले में अपीलार्थी को फंसाने के लिए अनुचित रूप से प्रेरित जांच को दर्शाता है। उन्होंने आग्रह किया कि जांच अधिकारी द्वारा की गई बरामदगी पूरी तरह से मनगढ़ंत और बनाई गई कहानी है जिसे खारिज किया जाना चाहिए।

65. इस संबंध में, ***हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम जीत सिंह:*** (1999) 4 एससीसी 370 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा करना उचित है।:-

*"26. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियुक्त के बयान को अस्वीकार्य बनाता है यदि वस्तुओं की बरामदगी किसी ऐसे स्थान से की गई हो जो "दूसरों के लिए खुला या पहुंच योग्य हो।" यह एक भ्रामक धारणा है कि जब किसी आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी किसी ऐसे स्थान से की जाती है जो दूसरों के लिए खुली या पहुंच योग्य है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साक्ष्य को नष्ट कर देगी। किसी भी वस्तु को ऐसे स्थानों पर छुपाया जा सकता है जो खुले हों या दूसरों के लिए सुलभ हों। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु मुख्य सड़क के किनारे गाड़ दी गई हो या सार्वजनिक स्थानों पर पड़े सूखे पत्तों के नीचे छिपा दी गई हो या किसी सार्वजनिक कार्यालय में छिपाकर रखी गई हो, तो सामान्य परिस्थितियों में वह वस्तु दूसरों की दृष्टि से दूर रहेगी। जब तक इस प्रकार की वस्तु को विच्छेदित नहीं किया जाता, तब तक इसकी गुप्त स्थिति अक्षुण्ण बनी रहेगी। जिस व्यक्ति ने इसे छिपाया वह अकेले ही जानता है कि यह कहाँ है जब तक कि वह उस तथ्य को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर देता। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि वह स्थान दूसरों के लिए सुलभ था या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह सामान्य रूप से दूसरों को दिखाई दे रहा था। यदि ऐसा नहीं है, तो यह महत्वहीन है कि छिपा हुआ स्थान दूसरों के लिए सुलभ है।*

66. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि जो प्रासंगिक है वह यह नहीं है कि वह स्थान दूसरों के लिए सुलभ था या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह सामान्य रूप से दूसरों को दिखाई दे रहा था। यदि वह स्थान जहां वह वस्तु छिपाई गई थी, ऐसा है जहां केवल उसे छिपाने वाला ही जानता है जब तक कि वह उस तथ्य को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर देता है, तो यह महत्वहीन होगा कि छिपाई गई जगह दूसरों के लिए पहुंच योग्य है या नहीं। आरोपी को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हथियार और उसके कपड़ों पर इंसान का खून कैसे लगा। यह खोज अभियोजन मामले को बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएगी।

67. गिरफ्तारी मेमो (प्रदर्श-14) के अनुसार आरोपी को दिनांक 01.12.2011 को शाम 8.30 बजे यानि घटना वाले दिन गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी लून सिंह (पीडब्लू-11) ने बताया कि 02.12.2011 को आरोपी मुकेश कुमार द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत एक सूचना (प्रदर्श-19) दिया था और जिसके अनुसरण में, मुकेश कुमार एक चाकू बरामद किया जो रेलवे लाइन की बाउंड्री के अंदर पत्थरों के नीचे छिपाई गई थी। गवाह हनुमान दास (पीडब्लू-4) और पारस मल (पीडब्लू-10) इस बरामदगी के साक्षी थे। रिकवरी मेमो (प्रदर्श-9) के अनुसार बरामद चाकू तेज धार वाला और खून से सना हुआ था। हनुमान दास और पारस मल ने इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी के कहने पर की गई।

68. जांच अधिकारी का यह भी कथन है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद घटना के

समय उसके द्वारा पहने गये कपड़े भी मेमो के माध्यम से गवाहों की उपस्थिति में बरामद किये गये (प्रदर्श-15)। इस मेमो को मोटबीर गवाह नरेश कुमार (पीडब्लू-7) ने भी सिद्ध किया है। नरेश कुमार ने अपने बयान में सिद्ध किया है कि आरोपी मुकेश कुमार ने सफेद रंग की शर्ट और भूरे रंग की बनियान उतार कर पुलिस को सौंप दी, जो उसने घटना के समय पहन रखी थी। इन कपड़ों पर खून के धब्बे थे।

69. हनुमान दास, नरेश कुमार और पारस मल की जिरह में कुछ भी विशेष प्रकाश में नहीं आया है जो इन ज्ञापनों की सामग्री या इन गवाहों के मौखिक साक्ष्य पर संदेह पैदा करता है जो अभियुक्तों के लिए कोई मदद करते हैं।

70. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि कोई भी अभियुक्त घटना के बाद खून से सने कपड़े पहनकर नहीं रहेगा, टिकने योग्य नहीं है क्योंकि अभियुक्त को घटना की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसी समय उसके खून से सने कपड़े पहने हुए जब्त कर लिए गए। आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खून से सने कपड़ों की बरामदगी के संबंध में मोतबीर से कोई जिरह नहीं की गई है। किसी भी तथ्य के संबंध में जिरह न करने के प्रभाव पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इसलिए बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क भी मान्य नहीं है।

71. दोनों वसूली ज्ञापन विधिवत निष्पादित सिद्ध हुए हैं। ज्ञापन के सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष की बात का समर्थन किया है।

72. एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-24) के साथ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस तथ्य को सिद्ध करता है कि अपराध के हथियार की बरामदगी आरोपी द्वारा दी गई जानकारी (प्रदर्श-9) पर हुई थी जिसमें मानव मूल के खून के धब्बे थे, जो ग्रुप "बी" मृतक के रक्त समूह से मेल खाता है, जो कि एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श-24) के आधार पर सिद्ध होता है, इसकी पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी केसर सिंह (पीडब्लू-3) के बयान से भी होती है। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चाकू एक खुली जगह से बरामद किया गया था, कोई बल नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाने योग्य है।

73. इस प्रकार, उक्त तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों से कोई लाभ नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि अभियुक्त के खून से सने कपड़ों की बरामदगी के साक्ष्य की पुष्टि दृष्टि संबंधी साक्ष्य से होती है; मौजूदा मामले

में, चाकू और आरोपी के खून से सने कपड़ों की बरामदगी अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र साक्ष्य नहीं है; खून से सने कपड़ों की बरामदगी की पुष्टि चश्मदीद गवाहों और चिकित्सीय साक्ष्यों से होती है; कि विभिन्न चीजों पर पाए गए रक्त समूह में कोई अस्पष्टता नहीं है।

74. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष अपेक्षित लिंक साक्ष्य सिद्ध करने में विफल रहा है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि जांच के दौरान जब्त की गई आपत्तिजनक वस्तुएं जब्ती के समय से ही उसी सीलबंद स्थिति में थीं, जब तक वे एफएसएल तक नहीं पहुंचे। इस प्रकार, एफएसएल रिपोर्ट खारिज करने योग्य है। इस न्यायालय की दृष्टि में, इस तरह का तर्क बिल्कुल भी मान्य नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष मूल राम, कांस्टेबल (पीडब्लू-9), मदन सिंह, हेड कांस्टेबल (पीडब्लू-13) स्वरूप सिंह, कांस्टेबल (पीडब्लू-14) और लून सिंह, जांच अधिकारी (पीडब्लू-11) के बयानों से लिंक साक्ष्य स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रहा है।

75. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष सटीक एफआईआर संख्या सिद्ध करने में विफल रहा है जिसमें जांच की गई थी और जब्त किए गए वस्तुओं का निपटारा किया गया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मौखिक साक्ष्यों में प्रकट होने वाले कुछ विरोधाभासों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि अभियोजन क्रम सं. 424 में प्रविष्टि वाले मालखाना रजिस्टर को प्रस्तुत करने में विफल रहा है इसलिए, लिंक साक्ष्य भी गायब है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मदन सिंह हेड कांस्टेबल (पीडब्लू-13) जो प्रासंगिक समय पर मालखाने के प्रभारी थे, ने यह भी नहीं बताया है कि, मामले के मालखाना वस्तुएं एफएसएल को भेजे जाने तक उनके पास बरकरार रहे। बरामद चाकू की सीलिंग भी बरामदगी के गवाह के समक्ष प्रमाणित नहीं की गयी है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को चाकू की बरामदगी से जोड़ने के लिए कथित रूप से बरामद चाकू से कोई उंगलियों के निशान नहीं लिए गए थे, इसलिए चाकू की बरामदगी फर्जी है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष घटना की तारीख रोज़नामचा को सिद्ध करने में भी विफल रहा है; पुलिस द्वारा गवाहों के बयान दर्ज करने के समय में भिन्नता रही है; यह भी सिद्ध नहीं हुआ है कि दीपक (पीडब्लू-8) को कब होश आया और कब उसे

अस्पताल से छुट्टी मिली। लेकिन इस न्यायालय के विचार में, हालांकि यह कहना सही है कि मामले की एफआईआर संख्या में भिन्नताएं अभी भी साक्ष्य में आई हैं, ये भिन्नताएं साधारण मुद्रण संबंधी गलतियां हैं।

76. वर्तमान मामले में, चूंकि चाकू की बरामदगी सिद्ध हो चुकी है और यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है, जिसके लिए चाकू पर उंगलियों के निशान लेना आवश्यक हो सकता था। ऊपर बताए गए सभी विरोधाभास प्रकृति में छोटे हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, इसलिए, हमें उक्त तर्क में भी कोई गुणागुण नहीं मिलता है। इस प्रकार, उक्त तर्कों के समर्थन में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय से कोई लाभ नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा कहानी में कुछ भी सुधार नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष अपने मामले को स्वयं सिद्ध करने में सक्षम है।

77. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, इस न्यायालय को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली। पक्षों की ओर से दी गई सभी दलीलों पर विचार करने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली, जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों को ध्यान से देखा है और हमने भी वही अभ्यास किया है और हमारी राय में, ट्रायल कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि नहीं की है कि अपीलार्थी ने कथित अपराध किया था।

78. इस प्रकार, हमारी राय में, अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है और सुरेश कुमार की हत्या के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए ट्रायल कोर्ट पूरी तरह से उचित था।

79. नतीजतन, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ सजा के आदेश को बरकरार रखा जाता है और तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

80. जहां तक पीड़ित के आश्रित को मुआवजे का प्रश्न है, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर मुआवजे की सिफारिश करना उचित नहीं समझा कि संपत्ति के संबंध में विवाद एक परिवार के रिश्तेदारों के बीच था, लेकिन हमारी राय में, मुआवज़ा देने से इनकार करने का बताया गया कारण उचित नहीं पाया गया। सुरेश कुमार की हत्या का

तथ्य सिद्ध हो चुका है, इसलिए हमारा मानना है कि सीआरपीसी की धारा 357-ए के तहत, मृतक सुरेश कुमार के आश्रित मुआवजे के पात्र हैं, यहां तक कि बरी होने की स्थिति में भी, उनके परिवार के पुनर्वास के लिए पीड़ित को कोर्ट मुआवजे की सिफ़ारिश कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 357 के उप-खंड (3) और (4) विधायिका की मंशा प्रकट करते हैं।

81. इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, हम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा को पीड़ित मुआवजा योजना के अनुरूप मुआवजा देने का निर्देश देते हैं। यह मामला उक्त उद्देश्य के लिए उपर्युक्त प्राधिकरण को भेजता है।

**(राजेंद्र प्रकाश सोनी), न्यायमूर्ति** **(अरुण भंसाली), न्यायमूर्ति**

Mohan/-

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।